<u>अनुस्मारक/अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>49/संख्या-13/5/98-का-1-2014</u>

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 26 मई, 2014

विषय :- "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956" में संशोधन एवं **"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" में प्रथम संशोधन किया जाना।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समसंख्यक पत्र दिनांक 15 मई, 2014 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या-173-177/1999 मेधा कोतवाल लेले व अन्य बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2012 के क्रम में "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली ,1956" में संशोधन तथा "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" में प्रथम संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

3- उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत नियमावलियों के विधीक्षित आलेख्यों की स्वच्छ प्रतियां संलग्न करते हुए प्रस्तावित संशोधनों के सम्बंध में मा0 आयोग का परामर्श/सहमति शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जो अभी तक अप्राप्त है। अत: मुझे आपसे पुन: यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है प्रश्नगत नियमावलियों में प्रस्तावित संशोधनों पर मा0 आयोग का परामर्श/सहमति शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
ह0/-
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in